

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :-अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-15/2025

1. बलदेव पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एल.के.एस. लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सन्दीप कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एल.के.एस. लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।



वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र सुन्दाराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एल.के.एस. लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रामस्वरूप पुत्र उदाराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एल.के.एस. लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रामकुमार पुत्र उदाराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एल.के.एस. लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सन्तलाल पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एल. के. एस. लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. अल्का पुत्री रामकुमार पत्नी अमित कुमार साकिन 2 एच 6, श्याम नगर वार्ड नं. 9 यूआईटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
6. लक्ष्मी देवी पुत्री रामकुमार पत्नी अरविन्द कुमार साकिन 2 एच 6, श्याम नगर वार्ड नं. 9 यूआईटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
7. रतनदीप पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई साकिन चक 8 एल. के. एस लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. माया पुत्री रामस्वरूप पत्नी मुकेश जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
9. कृष्णादेवी पुत्री उदाराम पत्नी बृजमोहन जाति बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तहसीलसंगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. रामेश्वरी पुत्री उदाराम पत्नी हरिराम (फौत)
- 10/1. संजय कुमार पुत्रगण रामेश्वरी पुत्री उदाराम पत्नी हरिराम जाति बिश्नोई
- 10/2. अनिल कुमार साकिन 64 एल.एन.पी. प्रथम तहसील पदमपुर
- 10/3. राधेश्याम श्रीगंगानगर राजस्थान
11. सरस्वती देवी पुत्री उदाराम पत्नी रामकुमार (फौत)।
- 11/1. विष्णु कुमार पुत्र सरस्वती देवी पुत्री उदाराम पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन 64एल.एन.पी. प्रथम तहसील पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11/1 की ओर से श्री चानण राम अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाता है। -चक 8 एल.के.एस. के खाता सं. 6/7 के प.नं. 0/280 (62) किला नं. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18 व पं.नं. 1/279 (55) 19/3, 20, 21/1, 22/4 व पं.नं. 1/280 (61) 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 13 व पं.नं. 2/278 (45) किला नं. 11/1, 11/2 इस प्रकार कुल 5.4390 हैक्. भूमि में वादी सं. 1 बलदेव व प्रतिवादी सं. 4 सन्तलाल का हिस्सा को 2.782 हैक्. भूमि ब.हि.ब. व वादी सं. 2 सन्दीप कुमार को 1.139 हैक्. व प्रतिवादी सं. 2 रामस्वरूप को 0.506 हैक्. व प्रतिवादी सं. 7 रतनदीप को 1.012 हैक्. नहरी अनकमाण्ड मय गै.मु. खाला रास्ता खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 28/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमित बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सहायक
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा

